उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-18/213/एक-1-2015-5(39)/2014

लखनऊ: दिनॉक: 11 फरवरी, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या- प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनॉक 01 जुलाई 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनॉक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, पुनर्ग्रहण करते हुए रेलवे विभाग, भारत सरकार को डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कौशाम्बी	सिराथू	कडा	सिराथू	766	0.0060	लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए भारत सरकार को डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु।
2					2572	0.0360	
				योग	**कुल 02 गाटा**	**0.0420 हे0**	

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-213(1)/ एक-1-2015-5(39)/2014, तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, कौशाम्बी को उनके पत्र संख्या-397/भूलेख-सात--कौशा0, दिनॉक 22-06-2014 के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा

shasnadesh.up.nic.in

-2-

प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. यह भी अपेक्षित है कि राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-258/16(1)-73-रा0-1, दिनाँक 09 मई, 1984 के अनुसार पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि कुल 02 गाटा रकबा 0.0420 हे0 का वर्तमान प्रचलित बाजार दर पर आंकलित मूल्य तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनाँक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ " के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा रेलवे विभाग, भारत सरकार को दिया जायेगा। प्रश्नगत भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

3. डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना की स्थापना के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा- सिराथू सराँस आकिल मार्ग की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त भी ग्रामवासियों के आवागमन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा। कब्रिस्तान की भूमि का पुनर्ग्रहण यदि आवश्यक हो तो उक्त हेतु वैकल्पिक व्यवस्था कराने के उपरान्त ही किया जा सकता है। शासनादेश संख्या-963/एक-1-2004-1-1(10)/2002-15-रा0-1, दिनाँक 30.06.2004 के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। रेलवे विभाग, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण से किसी धार्मिक उत्तेजना की आशंका न हो। उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धो का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

4. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

-3-

संख्या-213(2)/एक-1-2015-5(39)/2014 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद ।
4- मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया 117/एच-2 राधा भवन, पाण्डु नगर, कानपुर ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अशोक कुमार)
अनु सचिव।

shasnadesh.up.nic.in